मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1990 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 1990 (चैत्र 1, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री मोतीलाल वोरा / श्रीनिवास तिवारी / कृष्णपाल सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के सलैया डामरोन ग्राम के हरिजनों के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के अनेक क्षेत्रों में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप फैलने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

2. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री वासुदेव ठाकरे, सदस्य:—

(1) मासौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बिसनूर बिरूल बाजार तक गिट्टी सड़क मार्ग निर्मित किये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियों की,

(2) मासौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बिसनूर साईखेडा सड़क का डामरीकरण किये जाने के संबंध में 85 व्यक्तियों की,

(3) मासौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बधोड़ा में बांध का निर्माण किये जाने के संबंध में 76 व्यक्तियों की,

(4) मासौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बाड़ेगांव, बलेगांव की बीच नदी पर बांध बनाये जाने के संबंध में 55 व्यक्तियों की, तथा

(5) मुलताई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत साईखेडा (थाना) के पास नदी पर जलाशय निर्माण किये जाने के संबंध में 73 व्यक्तियों की.

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

3. लोक लेखा समिति के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

4. प्राक्कलन समिति के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि:—

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उपनियम (2) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए बीस सदस्यों का निर्वाचन.

श्री बलीराम कश्यप, आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"सभा के सदस्यगण मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 1990-91 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों."

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री भेरूलाल पाटीदार, सदस्य द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1990 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक 21 मार्च, 1990.